न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० – 32/2019 (2019/00280)

अनवान : –

1. शीला पत्नी हरदतसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री खेताराम प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 डीपीएन के वर्तमान खाता सं 23/146 की कुल 2.2520 हैक्टेयर व चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 102/105 की कुल 0.6830 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थिया का नाम सिलोचना पत्नी हरदतसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थिया की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का सही एवं वास्तविक नाम शीला की बजाये सिलोचना दर्ज रहने से प्रार्थिया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थिया के पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में भी प्रार्थिया का नाम शीला दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खचवाना के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थिया का उपरोक्त जमाबन्दी में शीला की बजाऐ सिलोचना दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थिया अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकती और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकती। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम सिलोचना के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम शीला दर्ज करा पा[illegible] कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:42 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से स[illegible] राजस्व रिकार्ड [illegible] नाम शीला के स्थान पर सिलोचना दर्ज होने से प्रार्थिया राज्य सरकार एवं [illegible] सरकार द्वारा बैंकों से [illegible] करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सर[illegible] योजनाओं को ऑनलाई[illegible] प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थिया का नाम सिलोचना दर्ज रहने से प्रार्थिया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थिया के रोही मौजा चक 2 डीपीएन के वर्तमान खाता सं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

23/146 की कुल 2.2520 हैक्टेयर व चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 102/105 की कुल 0.6830 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थिया का नाम शीला दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार ने जबाबदावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थिया ने रोही मौजा चक 2 डीपीएन के वर्तमान खाता सं 23/146 की कुल 2.2520 हैक्टेयर व चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 102/105 की कुल 0.6830 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थिया का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थिया का सही नाम शीला के स्थान पर सिलोचना दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थिया ने प्रति पहचान पत्र, भामाशाह, आधार कार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थिया का नाम शीला अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 2 डीपीएन के वर्तमान खाता सं 23/146 की कुल 2.2520 हैक्टेयर व चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 102/105 की कुल 0.6830 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थिया का नाम **''सिलोचना के स्थान पर शीला''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए सिलोचना ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थिया स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:42 IST
Reason: SelfAttested